प्राधिकरण कार्य संचालन

संख्या–1327 / 9–आवास–5–1998

प्रेषक,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
अध्यक्ष / सचिव,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक : 22 अप्रैल, 1998

विषय : प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में कार्य के अनुरूप विभिन्न संवगों में पदों का निर्धारण किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या–2987 / 37–2–86 डीए / 83, दिनांक 14 मई, 1993 द्वारा विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की निर्माण एवं आवासीय योजनाओं के कार्य सम्पादन में शीघ्रता एवं समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1.00 करोड़ रूपये से लेकर 1.25 करोड रूपये तक के निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु एक निर्माण खण्ड(डिवीजन) के सृजन की अनुमति कतिपय शर्तो के साथ प्रदान की गयी थी। विगत वर्षो में निर्माण सामग्री एवं अन्य वस्तुओं के मूल्यों में उत्तरोउत्तर वृद्धि एवं विकास योजनाओं के लागत में पर्याप्त वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर पर यह उचित पाया गया है कि एक निर्माण खण्ड(डिवीजन) के सृजन हेतु 1.00 से 1.25 करोड़ तक के निर्माण कार्य का मानक अब संगत नहीं रह गया अतः इस बढ़ाकर 5.00 करोड़ रखना उचित होगा। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर पर डिवीजन के सृजन का पुनरीक्षण / निर्धारण आवश्यक हो गया है एवं 5.00 करोड़ के निर्माण / विकास कार्य पर एक निर्माण खण्ड (डिवीजन) का सृजन / निर्धारण किया जना औचित्यूपर्ण होगा।

जिन विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकस प्राधिकरणों में डिमोलेशन स्क्वायड का अस्तित्व है उन विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में प्रत्येक सेक्टर के लिए सहायक अभियंता एवं 04 अवर अभियंता के अतिरिक्त पदों का निर्धारण किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्माण खण्डों का निर्धारण करते हुए शासनादेश संख्या– 2987 / 37–2–96 डीए / 83 दिनांक 14 मई, 1993 में उल्लिखित मानकों के अनुसार पदों की संख्या संवर्गवार निर्धारित करते हुए शासन को एक पक्ष में अवगत कराने का कष्ट करें।

2. नियोजन संवर्ग में पदों के निर्धारण के लिए बड़े नगरों के प्राधिकरण जिनमें कानपुर,इलाहाबाद, लखनऊ ,आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मरेठ तथा बरेली के लिए मुख्य वास्तुविद नियोजक सहित प्रथम श्रेणी के 03 पद, द्वितीय श्रेणी के 05 पद एवं तृतीय श्रेणी के कुल मिलाकर 10 से 12 पद आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाना उचित होगा। जहाँ '' लैण्ड स्केपिंग'' का कार्य अपेक्षाकृत अधिक है वहाँ पर एक लैण्ड स्केपिंग वास्तुविद का पद यथा आवश्कता रखा जा सकता है। मध्यम आकार के नगरों के प्राधिकरण यथा मुरादाबाद, अलीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, झाँसी तथा फैजाबाद में प्रथम श्रेणी का एक पद, द्वितीय श्रेणी के दो पद एवं तृतीय श्रेणी के कुल मिलाकर 05 पदों का निर्धारण यथा आवश्यकता किया जा सकता है अन्य प्राधिकरणों में द्वितीय श्रेणी के दो पद एवं तृतीय श्रेणी के कुल मिलाकर 03 कर्मचारियों को रखा जाना उचित होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त नियोजन कार्यालय के लिए समान्य स्टाफ यथा आशुलिपिक / लिपिक / टंकक का निर्धारण आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।

3. इस प्रकार अन्य संवर्गो यथाः लेखा प्रशासनिक, राजस्व में भी कार्य के आधार पर पदों का पुननिर्धारण किया जाना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर अधिष्ठान अनुभाग में 150–200 कार्मिकों के अधिष्ठान पर एक वरिष्ठ लिपिक का पद एवं 300 सेवा पुस्तिकाओं के रख–रखाव के लिए एक सहायक की तैनाती किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार सम्पत्ति अनुभाग के लिए लगभग 1200 आवंटियों के पत्रावली पर एक लिपिक का निर्धारण एवं प्रत्येक अनुभाग की देख–रेख के लिए एक अनुभाग अधिकारी / सहायक सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति अधिकारी का निर्धारण किया जाना वांछनीय होगा। स्पैन आफ कन्ट्रोल प्रभावी हो इसके लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 10 से 12 कर्मचारियों पर कार्यालय अधीक्षक अनुभाग अधिकारी का एक पर्यवेक्षकीय पद निर्धारित किया जाये।

4. प्रशासनिक संवर्ग में वरिष्ठ पदों का निर्धारण उपाध्यक्ष, कार्य एवं पर्यवेक्षण के भार हो देखते हुए अपने विवेक से करते हुए समग्र सूचना से शासन को एक पक्ष में अवगत करायें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव